12/11/2021 पत्रावली वास्ते आदेश आज पेश हुई। वकलाय उभय पक्ष उप०। व्यस्तता के चलते प्रकरण में आदेश नहीं लिखवाया जा सका। वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 15-11-2021 को पेश हो।

15-11-2021

पत्रावली वास्ते आदेश प्रा० पत्र T.I. आज पेश हुई। वकलाय उभय पक्ष की बहस प्रा० पत्र T.I. पर पूर्व में सुनी जा चुकी है। परवक्त बहस वकील प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र T.I. में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए तादौराने फैसल वाद अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने बाबत विवादित आराजी के मौके एवं रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने का निवेदन किया। वकील प्रार्थीगण द्वारा अपने कथनों के समर्थन में माननीय उच्चस्थ न्यायालयों के निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किये :-

1. Akriti land Con. Pvt. Ltd. (M/s) v/s Krishna Bhargava & ors. etc. etc. 2018 (1) RRT 156
2. Hari Shankar and others v/s Sataya Prakash and others S.C. AIR 1982 Rajasthan 183.
3. Rambharoshi v/s Bhagirath Raj. High Court 2014 (4) DNJ (Raj) 1634

वकील प्रार्थीगण की बहस के जवाब में वकील अप्रार्थी सं० 1 ता 3 व 5 ने अपने जवाब प्रार्थना-पत्र T.I. में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र मय व्यय खारिज फरमाने का निवेदन किया।

पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं दस्तावेजात का अवलोकन किया गया तथा बहस वकलाय उभय पक्ष पर सगौर मनन किया गया। साथ ही माननीय उच्चस्थ न्यायालयों के न्यायिक दृष्टान्तों

दिनांक	आज्ञा-पत्र
	का ससम्मान अवलोकन किया गया।
	वकील प्रार्थीगण का अभिकथन है कि तन ग्राम बिजांसी तहसील धोद जिला सीकर (राज०) अवस्थित कृषि भूमि ख० नं० 37 रकबा 6.6200 हे० पर पूर्व में प्रार्थीगण के पूर्वज काबिज काश्तकार थे एवं वर्तमान में प्रार्थीगण काबिज काश्त है। उक्त आराजी पर प्रार्थीगण के पूर्वजों के समय से ही सिंचाई के साधन बने हुए है। उक्त विवादित आराजी पर प्रार्थीगण वक्त बुजुर्गान से पक्के मकानात मय विद्युत कनेक्शन पशु सम्पदा सहित आबाद है। प्रार्थीगण के ~~पिता~~ पूर्वज खांगसिंह पुत्र बेरीसाल सिंह द्वारा उक्त विवादित आराजी अप्रार्थी सं० 3 ता 5 के पूर्वज मोटाराम को बंटाई पर कृषि कार्यो के लिए दो वर्षों के लिए बताया था जिसका उल्लेख जमाबंदी सम्वत् 2019 से 2022 एवम् जमाबंदी सम्वत् 2023-26 में है। कालान्तर में अप्रार्थीगण के उक्त पूर्वज मोटाराम ने राजस्व अधिकारी/कर्मचारियो से साज कर उक्त विवादित आराजी की खातेदारी का इन्द्राज अपने नाम करवा लिया। उक्त मोटाराम की मृत्यु 13 feb. 1979 हो चुकी है। उक्त विवादित आराजी के संबंध में अप्रार्थी सं० 3 ता 5 ने राजस्व अधिकारी/कर्मचारी से साज कर खातेदारी अपने नाम दर्ज राजस्व रेकार्ड करवा ली तथा विवादित आराजी अपने नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज हो

न्यायालय सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर

(मुनेश कुमारी R.A.S.)
सहायक कलक्टर (द्वितीय)

पर अप्रार्थी सं० 4 ता 6 ने प्रार्थी सं० 1 ता 2 के पक्ष में विवादित आराजी सम्पूर्ण का एक मुनाईदी विक्रय पत्र दिनांक 27/10/1999 को निष्पादित करवा दिया। उक्त विक्रय पत्र की शर्त सं० 7 में यह स्पष्ट अंकित किया है कि उक्त आराजी पर "एक फसली बारानी की काश्त होती आ रही है जिसमें सिंचाई का कोई साधन नहीं है।" जबकि वर्तमान चौसाला गिरदावरी में अंकन के अनुसार उक्त विवादित आराजी पर गेंहू, सरसों, मेथी, चना एवं ईसबगोल की रबि की फसल होती है एवं जो ट्यूब वैल बना हुआ है उसका भी स्पष्ट अंकन है। उक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि अप्रार्थीगण को विवादित आराजी का आदिनांक कोई ज्ञान नहीं रहा है। उक्त वर्णित मुनाईदी विक्रय पत्र काबिले खारिज है एवं विवादित आराजी बाबत अप्रार्थीगण को मौके एवं रेकार्ड की यथास्थिति बाबत पाबन्द किया जाना न्याय संगत है।

दूसरी तरफ वकील अप्रार्थी सं० 1,2,3,5 का अभिकथन है कि विवादित आराजी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने से पूर्व से ही मोती/मोटा पुत्र टोडा जाति बलाई नि० ग्राम भिलूणा तह० लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर के कब्जा, हक अधिकार की कृषि भूमि थी जिस कारण उक्त मोटा बलाई को विवादित भूमि पर "By operation of law" विवादित भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये जिसकी निर्वसयती मृत्यु हो जाने पर विरासत से विवादित आराजी की खातेदारी

अप्रार्थी सं० 3 ता 5 के नाम दर्ज राजस्व रेकार्ड हुई। उक्त खातेदारी अधिकारों के आधार पर ही अप्रार्थी सं० 3 ता 5 द्वारा अप्रार्थी सं० 1 व 2 के पक्ष में दिनांक 27.02.2024 को निष्पादित किया गया है जो सद्भाविक केता है साथ ही उक्त वर्णित विक्रय पत्र अनुसूचित जाति के पक्षकारों के मध्य निष्पादित हुआ है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 (बी) के अनुसार अनुसूचित जाति के व्यक्ति की खातेदारी भूमि पर अनुसूचित जाति से भिन्न जाति के व्यक्ति को विक्रय, दान, रहन अथवा अन्यथा अंतरण एवं वाद पत्र के जरिए खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र T.I. सव्यय खारिज योग्य है।

चूंकि विवादित आराजी बाबत वकील प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण द्वारा उठाये गये बिन्दुओं का निर्धारण साक्ष्य पर होना है जो मूल वादपत्र में बाद साक्ष्य गुणावगुण पर किया जाना है साथ ही प्रतिवादी सं० 4 (अप्रार्थी सं० 4) द्वारा अपने जवाब प्रार्थना-पत्र में विक्रय पत्र दिनांकित 27-02-2024 को स्वयं को भुगालता में रखकर एवं बिना प्रतिफल के निष्पादित होना अभिकथित किया है।

न्यायालय सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर

अतः उक्त तथ्यों के आलोक में तन ग्राम बिजांसी तहसील धोद जिला सीकर (राज०) अवस्थित कृषि भूमि ख० नं० 37 रकबा 6.6200 हे० के संबंध में विवादित पक्षकारान के

(मुनेश कुमारी R.A.S.)
सहायक कलक्टर (द्वितीय)
सीकर

मध्य वाद बाहुल्यता को रोकने एवम् विवादित आराजी का मूल वादपत्र के निस्तारण तक अन्य संक्रामण को रोकने के मध्य नजर विवादित आराजी के वर्तमान राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति तादौराने फैसला वाद बनाये रखने बाबत अप्रार्थीगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 15/11/2024 को मेरे द्वारा हस्ताक्षरित कर न्यायालय मुद्रा सहित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुनेश कुमारी)
RAS
सहायक कलक्टर
द्वितीय (सीकर)

न्यायालय सहायक (द्वितीय) सीकर